छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सूचना

क्रमांक 16357 /दो–14–1/2024 बिलासपुर, दिनांक 14 /08/2025
Adv. No. 02/2024 (Staff Car Driver)

स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 03/08/2025 को आयोजित की गई थी। उक्त लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 225 अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा, परीक्षा स्थल "ट्रैफिक पार्क, ग्राम लगरा, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर के बगल में, सीपत रोड बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)" में आयोजित किया जाना है। उक्त प्रायोगिक परीक्षा की संभावित तिथि/समय निम्नानुसार है–

स.क.	प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	अभ्यर्थियों की संख्या	प्रायोगिक परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की जारी सूची का सरल क्रमांक	प्रायोगिक परीक्षा का समय
1	07/09/2025	60	01 से 60 तक	प्रातः 09.00 बजे से
		65	61 से 125 तक	दोपहर 01.30 बजे से
2	08/09/2025	50	126 से 175 तक	प्रातः 09.00 बजे से
3	09/09/2025	50	176 से 225 तक	प्रातः 09.00 बजे से

उक्त प्रायोगिक परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने से 01 घंटा पूर्व प्रायोगिक परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे, जो उनकी परीक्षा के लिये वैध/अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

निर्धारित तिथि एवं समय को प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का प्रायोगिक परीक्षा किसी अन्य तिथि/समय पर नहीं लिया जायेगा तथा उनका प्रायोगिक परीक्षा हेतु दावा/अधिकार समाप्त हो जाएगा।

प्रायोगिक परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी प्रवेश पत्र, वैध ट्रान्सपोर्ट (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेंस की मूल प्रति एवं उसकी एक छायाप्रति तथा अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पास–बुक (फोटो युक्त)/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति के साथ उपस्थित हो। प्रायोगिक परीक्षा स्थल में ट्रान्सपोर्ट (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेंस की छायाप्रति (अपना रोल नम्बर अंकित कर) में स्वयं का हस्ताक्षर (स्वप्रमाणित) कर अधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सौंपे।

यदि प्रायोगिक परीक्षा की तिथि/समय एवं स्थल में परिवर्तन होता है तो उक्त परिवर्तन की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट https://highcourt.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

14.8.25

(मनीष कुमार ठाकुर)
रजिस्ट्रार जनरल